अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2020 (GCMS 2020/00159) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 26.03.2020 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. निवार्चक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 1659 दिनांक 28.08.2015 से 4 बिन्दुओं की सूचना पत्रांक 1678 दिनांक 10.02.2009 के साथ संलग्नक से बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचनाएं मूल सूचना पर एडीएम सिटी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर बिना ही प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में उपलब्ध करायी है, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
2. उस कर्मकार व अधिकारी के नाम व पद की सूचना जिनके द्वारा बिना हस्ताक्षर मूल सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/657 दिनांक 04.08.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

क्र.सं.	आपके प्रार्थना पत्र द्वारा चाही गयी सूचना	उत्तर/सूचना
1	निवार्चक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 1659 दिनांक 28.08.2015 से 4 बिन्दुओं की सूचना पत्रांक 1678 दिनांक 10.02.2009 के साथ संलग्नक से बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचनाएं मूल सूचना पर एडीएम सिटी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर बिना ही प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में उपलब्ध करायी है, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक 5165 दिनांक 16.08.2015 के द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 1659 दिनांक 28.08.2015 के द्वारा दिया गया। जिसमें उपलब्ध सूचना आपको प्रेषित करवा दी गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचनाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गयी समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप से प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं। आप द्वारा वांछित नियम की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	उस कर्मकार व अधिकारी के नाम व पद की सूचना जिनके द्वारा बिना हस्ताक्षर मूल पर किये, प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई है।	तत्कालीन सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा **उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है।** इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब [illegible] दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:30 IST
Reason: SelfAttested